SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 10.07.2021

Labour Court, Sri Ganganagar

Awardee was initially appointed on daily wages basis as class IV employee under the office of CMHO, Sri Ganganagar on 19.06.1984 and later on his services were terminated on 20.10.1986.

The awardee had successfully got a reference to be made in this court after conciliation proceedings by the competent authority, in which an award was passed by this court on 22.11.2001.

However, the awardee was not given the permanent (regular) appointment and regular pay scale in compliance of the said award.

The awardee again had got a reference to be made to this court by the competent authority on 15.01.2009, in which this court passed an award in his favour on 31.01.2012 whereby it was directed that he should be declared a regular class IV employee wef. 20.10.1986 and given regular pay scale coupled with arrears be paid within 3 months.

However, the awardee was neither given permanent (regular) appointment nor given regular pay scale and arrears.

The State Government challenged the said award in Hon'ble Rajasthan High Court through S.B. Civil Writ Petition which was dismissed on 14.02.2018.

There after the State Governement preferred a D.B. SAW (Writ) before the Division Bench of Hon'ble Rajasthan High Court which was also dismissed and SLP filed against, it was also dismissed.

The State Government despite having taken the decision of "No-Review", didn't comply the orders. Aggrieved by this, the awardee filed the execution procedings on 19.08.2017.

After strong and consistent persuasion by the court the awardee has been given not only the permanent (regular) appointment vide order dated 12.04.2021 but also been granted the regular pay scale of class IV employee, besides payment of arrears to the tune of rupees 49,36,569.

After conciliation and persuasion of both the parties in the National Lok Adalat this dispute pending since 1986 i.e. for last 35 years has been finally resolved by amicable settlement in respect of all the disputes existing between the parties including the awardee's claim of penal interest, whereby this National Lok Adalat has proved its efficacy for the lower ranked Government Employee hailing from the lower strata of the society and S.T class.

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 10.07.2021

न्यायालय – वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ में दिनांक 10.07.2021 को निस्तारित एक प्रकरण में दो पक्षों के मध्य एक जमीन को लेकर विवाद था। बंटवारे को लेकर उत्पन्न हुए विवाद के संबंध में वर्ष 1996 में उक्त न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण को दिनांक 10.07.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया एवं बैंच अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य लगभग 8 बार प्री–काउंसलिंग की गई। लगभग 25 वर्ष की दीर्घकालिक अवधि तक चले उक्त प्रकरण का दिनांक 10.07.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनो पक्षों के मध्य आपसी समझाईश करवाकर राजीनामा कर लोक अदालत की भावना से निस्तारण किया गया।

न्यायालय – अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 1, सांभर लेक, जयपुर जिला

यह प्रकरण प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के विरूद्ध दाम्पत्य सम्बन्धों की पुनःर्स्थापना हेतु धारा 09 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय – अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 1, सांभर लेक, जयपुर जिला में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थिया का विवाह 05.09.2013 को सम्पन्न हुआ। विवाह पश्चात् पक्षकारान् के एक पुत्री का जन्म हुआ। कुछ समय पश्चात् प्रार्थी एवं अप्रार्थिया में आपसी अनबन हो गयी जिससे वर्ष 2017 में अप्रार्थिया बिना बताये अपने पीहर चली गयी। प्रार्थी कई बार अप्रार्थिया को लेने भी गया परंतु अप्रार्थिया लौटकर नहीं आयी। उक्त प्रकरण दिनांक 10.07.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। जिस पर पक्षकारान् ने खुशी–खुशी साथ रहना स्वीकार किया। उनकी पुत्री को अब माता–पिता का प्रेम व वात्सल्य प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार एक परिवार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से टूटने से बच गया।

न्यायालय – अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–3, कोटा

यह प्रकरण परिवादी के द्वारा दिनांक 27.09.1995 को न्यायालय – अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–3, कोटा में मारपीट बाबत् अभियुक्तगण के विरूद्ध पेश किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में अनुसंधान के पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान पेश किया गया। लगभग 26 वर्षों तक प्रकरण में विचारण लम्बित रहा। इस लम्बी समयावधि में एक अभियुक्त की दौराने विचारण मृत्यु हो गई। मुकदमा दायर करते समय परिवादी की उम्र 20 वर्ष थी, जो कि अब 46 वर्ष हो चुकी है एवं अभियुक्तगण भी 18 एवं 20 वर्ष के थे, जो वर्तमान में 44 एवं 46 वर्ष के हो गये हैं। उक्त प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.07.2021 में रखा गया एवं बैंच द्वारा पक्षकारान् के मध्य समझाइश की गयी जिसके फलस्वरूप उक्त प्रकरण का राजीनामें के माध्यम से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 10.07.2021

न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर, पाली

यह प्रकरण न्यायालय – सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बर, पाली में अन्तर्गत दावा स्थाई निषेधाज्ञा एवं मेण्डेटरी एवं प्रोहीबेटरी लम्बित था। प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य विगत लगभग 09 वर्षों से विवाद चल रहा था, प्रकरण में राजीनामे की संभावना होने से राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.07.2021 में उक्त प्रकरण को रखा गया। बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान् के मध्य प्री–काउंसलिंग की गयी जो सफल रही एवं पक्षकारान् के मध्य का विवाद का राजीनामे के माध्यम से अंत हो गया।

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ़, राजसमन्द

यह प्रकरण दिनांक 21.07.2018 को प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता में न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ़, राजसमन्द में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से लगभग 15 वर्ष पूर्व सम्पन्न हुआ था। विवाह पश्चात् पक्षकारान् के चार पुत्रियां जिनकी उम्र 14 साल, 12 साल, 10 साल, 06 साल एवं एक पुत्र उम्र 08 साल का जन्म हुआ। तत्पश्चात् प्रार्थिया एवं अप्रार्थी में आपसी मनमुटाव होने के कारण दोनों अलग–अलग रहने लगे तथा प्रार्थिया द्वारा न्यायालय में यह प्रकरण दर्ज करवाया गया। राजीनामे की संभावना होने से उक्त प्रकरण को दिनांक 10.07.2021 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जाने तक उक्त प्रकरण में 15 बार तारीख पेशी दी गई। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत की दिनांक को साक्ष्य विपक्षी जिरह/ उचित आदेश की स्टेज पर नियत थी। दिनांक 10.07.2021 को दोनों पक्षों के बीच बैठक करवायी गयी। दोनों को मनमुटाव समाप्त कर साथ रहने के लिए समझाया गया। उल्लेखनीय है कि दंपति के 05 बच्चे हैं जिनके उज्ज्वल भविष्य के बारे में समझाया। काफी प्रयास करने के बाद दोनों साथ रहने को राजी हुए। दोनों पक्षों ने राजीनामा बिना किसी भय, दबाव व स्वतंत्र सहमति से किया जाना स्वीकार किया। प्रार्थिया ने लोक अदालत की भावना से हस्तगत प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए, हस्तगत प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु निवेदन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अलग–अलग रह रहे पति–पत्नि को साथ जीवन निर्वाह के लिए खुशी–खुशी घर भेजा गया।

****